

## फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :- श्री शंकर मेघवाल

विपक्षी :- श्री नाना मेघवाल

किस्म मुकदमा :- 212 आरटीएक्ट

पत्रावली संख्या :- 12/25 प्रार्थना पत्र

जीसीएमएस नम्बर :- 2025/45

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 18.11.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। मूल वाद में आज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार किया जाकर वादी के वाद को खारिज किया जाकर निस्तारण किया जा चुका है। ऐसे में अब इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाकर खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे एवं मुल वाद के साथ संलग्न रहे।</p> <p>निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।</p> <p>(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (FT) मावली</p>	

